संख्या- 1/2023/269/003-33-2020

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उ0प्र0 लखनऊ

पंचायती राज अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनांक 13 फरवरी, 2023**

विषय:- 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत प्रदेश की पंचायतीराज संस्थाओं को वर्ष 2022-23 के लिए संस्तुत बुनियादी अनुदान (अनटाइड ग्रांट) की द्वितीय किश्त के आवंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार के पत्र संख्या-F.-15(4) FC-XV/FCD/2020-25 दिनांक 03.02.2023,आपके पत्र संख्या-6/3554/2022-6/267/2022-23 दिनांक 07.02.2023 एवं वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक 07.06.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहनें का निदेश हुआ है कि 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं हेतु द्वितीय किश्त की बुनियादी अनुदान (अनटाइड ग्रांट) की अवमुक्त कुल धनराशि **रू. 149320.00 लाख** (रू. चौदह सौ तिरानबे करोड़ बीस लाख मात्र) में से क्रमश: जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायतों को संलग्न फाण्ट के अनुसार निम्नवत शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल व्यय हेतु सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्ध

(1) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक 07.06.2022 में उल्लिखित निर्देशों का कडाई से अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि पन्द्रहवें केन्द्रीय वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत पंचायतीराज संस्था ओं को संक्रमित की जा रही धनराशि का व्यय पन्द्रहवें वित्त आयोग की धनराशि का उपयोग किए जानें के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या-38/2020/1751/33-3-2020-38/2020 दिनांक 18.08.2020 व अन्य मार्गदर्शी सिद्धान्तों में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जाएगा।

(3) पंचायतीराज संस्थाओं हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि कोषागार से आहरित कर किसी भी दशा में निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0 द्वारा बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) कोषागार से धनराशि आहरित कर सीधे पंचायतीराज संस्थाओं के खाते में जमा की जायेगी। उक्त प्रक्रिया पी.एफ.एम.एस. के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा।

(5) निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0 द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पंचायतीराज संस्थाओं का बैंक खाता, आई.एफ.एस.सी. कोड, जिसमें धनराशि जमा की जा रही है, वह सही है।

(6) धनराशि के आहरण की सूचना बाउचर संख्या एवं दिनांक सहित पंचायतीराज अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराई जायेगी।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग केवल उन्हीं प्रयोजनों के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि दी जा रही है। इस धनराशि से किसी प्रकार का व्यावर्तन/समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।

(8) उक्तानुसार वित्तीय स्वीकृति धनराशि को निर्गत करनें के पूर्व जनपदवार धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित कर लिया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय/ उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जाएगा जिसके लिए यह स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी; जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0 लखनऊ का होगा।

(9) उक्त वित्तीय स्वीकृति जारी करनें के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र ही किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डेबुक के नियमों तथा अन्य स्थांयी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो उन मामलों में व्यय करनें के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

(10) शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अत: व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-4/2018/ आर0जी0-1021/ दस/ 2018-मित0-1/2017 दिनांक 18.09.2018 विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

(11) वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट में जनपदवार उपलब्ध धनराशि की सीमा के उपर कदापि नहीं निर्गत किया जायेगा। जनपदवार फाण्ट के सही होनें का दायित्व निदेशक,पंचायतीराज का होगा। धनराशि का आहरण/ व्यय में भारत सरकार की गाइड लाइन/ दिशा-निर्देश का अनुपालन अक्षरश: सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) पंचायती राज संस्थाओं हेतु भारत सरकार से आवंटित द्वितीय किश्त की बुनियादी अनुदान (अनटाइड ग्रांट) की कुल धनराशि रू. 149320.00 लाख निम्निवत व्यवस्थानुसार अवमुक्त की जायेगी:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0सं0	पंचायतीराज संस्थाएं	(अनुपात)	धनराशि (रू. में)
1	जिला पंचायत	(15 प्रतिशत)	2,23,98,00,000/-
2	क्षेत्र पंचायत	(15 प्रतिशत)	2,23,98,00,000/-
3	ग्राम पंचायत	(70 प्रतिशत)	10,45,24,00,000/-
	कुल योग		**14,93,20,00,000/-**

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2515001960500 (पन्द्रहवां वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	014	2515001960500 पन्द्रहवां वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	2,23,98,00,000 (रुपये दो अरब तेईस करोड़ अट्ठानबे लाख मात्र)
	कुल			**2,23,98,00,000 (रुपये दो अरब तेईस करोड़ अट्ठानबे लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2515001970500 (पन्द्रहवां वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	014	2515001970500 पन्द्रहवां वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	2,23,98,00,000 (रुपये दो अरब तेईस करोड़ अट्ठानबे लाख मात्र)
	कुल			**2,23,98,00,000 (रुपये दो अरब तेईस करोड़ अट्ठानबे लाख मात्र)**

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

लेखाशीर्ष: 2515001980500 (पन्द्रहवां वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	014	2515001980500 पन्द्रहवां वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	10,45,24,00,000 (रुपये दस अरब पैंतालीस करोड़ चौबीस लाख मात्र)
	कुल			**10,45,24,00,000 (रुपये दस अरब पैंतालीस करोड़ चौबीस लाख मात्र)**
महायोग				**14,93,20,00,000 (रुपये चौदह अरब तिरानवे करोड़ बीस लाख मात्र)**

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक 07.06.2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 1/2023/ 269 /003-33-2020, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।

2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ एवं प्रयागराज।

3- निदेशक, स्थानीय निधि, लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।

4- समस्त मण्डलायुक्त।

5- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 ।

6- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।

7- उप निदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, उ0प्र0 ।

8- समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायतें, उ0प्र0।

9- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनउ।

10- संबंधित बैंकों को।

11- निदेशक,पंचायतीराज,लेखा उ0प्र0।

12- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/ वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-2

13- वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग।

14- वित्त संसाधन (वित्त आयोग) अनुभाग।

15- समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, उ0प्र0।

16- समस्त खण्ड विकास अधिकारी, उ0प्र0।

17- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार राम)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-01/2023/269/003-33-2020 दिनांक 13.02.2023 का संलग्नक

(धनराशि रू. में)

क्र.स.	जनपद	अनटाइड ग्रान्ट की द्वितीय किस्त वर्ष 2022-23			
		जिला पंचायत की धनराशि	क्षेत्र पंचायत की धनराशि	ग्राम पंचायत की धनराशि	योग(3+4+5)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	आगरा	37533341	37533341	175155593	250222275
2	अलीगढ़	34367095	34367095	160379778	229113968
3	अम्बेडकर नगर	29591520	29591520	138093758	197276798
4	अमेठी	26866036	26866036	125374835	179106907
5	अमरोहा	19507156	19507156	91033396	130047708
6	औरैया	17403216	17403216	81215010	116021442
7	अयोध्या	28499137	28499137	132995971	189994245
8	आजमगढ़	59081295	59081295	275712708	393875298
9	बागपत	14497719	14497719	67656020	96651458
10	बहराइच	46597520	46597520	217455096	310650136
11	बलिया	41347813	41347813	192956458	275652084
12	बलरामपुर	29259713	29259713	136545328	195064754
13	बांदा	24130671	24130671	112609796	160871138
14	बाराबंकी	42017069	42017069	196079656	280113794
15	बरेली	43693826	43693826	203904524	291292176
16	बस्ती	31348641	31348641	146293658	208990940
17	भदोही	18615947	18615947	86874418	124106312

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

18	बिजनौर	41283406	41283406	192655897	275222709
19	बदायू	37688024	37688024	175877443	251253491
20	बुलन्दशहर	38611339	38611339	180186249	257408927
21	चन्दौली	25452361	25452361	118777683	169682405
22	चित्रकूट	14303382	14303382	66749115	95355879
23	देवरिया	36929185	36929185	172336198	246194568
24	एटा	22365086	22365086	104370402	149100574
25	इटावा	18391443	18391443	85826736	122609622
26	फर्रूखाबाद	21604722	21604722	100822034	144031478
27	फतेहपुर	33380723	33380723	155776707	222538153
28	फिरोजाबाद	24242507	24242507	113131698	161616712
29	गौतमबुद्धनगर	4894964	4894964	22843170	32633098
30	गाजियाबाद	8391519	8391519	39160422	55943460
31	गाजीपुर	48161945	48161945	224755744	321079634
32	गोण्डा	47510324	47510324	221714845	316735493
33	गोरखपुर	47976128	47976128	223888596	319840852
34	हमीरपुर	15404026	15404026	71885453	102693505
35	हापुड़	13638352	13638352	63645641	90922345
36	हरदोई	53906391	53906391	251563156	359375938
37	हाथरस	17704567	17704567	82621313	118030447
38	जालौन	17801158	17801158	83072073	118674389
39	जौनपुर	57922063	57922063	270302963	386147089

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

40	झांसी	20656478	20656478	96396898	137709854
41	कन्नौज	20298737	20298737	94727440	135324914
42	कानपुर देहात	23505192	23505192	109690896	156701280
43	कानपुर नगर	23784764	23784764	110995565	158565093
44	कासगंज	17308684	17308684	80773859	115391227
45	कौशाम्बी	19237346	19237346	89774283	128248975
46	खीरी	54031747	54031747	252148154	360211648
47	कुशीनगर	43343125	43343125	202267918	288954168
48	ललितपुर	18812119	18812119	87789888	125414126
49	लखनऊ	18740581	18740581	87456042	124937204
50	महाराजगंज	34009607	34009607	158711498	226730712
51	महोबा	12544157	12544157	58539398	83627712
52	मैनपुरी	23094168	23094168	107772783	153961119
53	मथुरा	24806845	24806845	115765278	165378968
54	मऊ	22336835	22336835	104238565	148912235
55	मेरठ	24346123	24346123	113615239	162307485
56	मिर्जापुर	33362772	33362772	155692934	222418478
57	मुरादाबाद	27692507	27692507	129231697	184616711
58	मुजफ्फरनगर	29624787	29624787	138249007	197498581
59	पीलीभीत	25991310	25991310	121292780	173275400
60	प्रतापगढ़	40163192	40163192	187428227	267754611
61	प्रयागराज	61492770	61492770	286966264	409951804

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

62	रायबरेली	37383162	37383162	174454756	249221080
63	रामपुर	25158884	25158884	117408126	167725894
64	सहारनपुर	35387285	35387285	165140665	235915235
65	संम्भल	25652213	25652213	119710327	171014753
66	सन्त कबीर नगर	21366166	21366166	99708776	142441108
67	शाहजहापुर	35399496	35399496	165197649	235996641
68	शामली	13611900	13611900	63522202	90746002
69	श्रावस्ती	15854832	15854832	73989214	105698878
70	सिद्धार्थ नगर	32783187	32783187	152988205	218554579
71	सीतापुर	58402820	58402820	272546492	389352132
72	सोनभद्र	27430951	27430951	128011105	182873007
73	सुल्तानपुर	33072405	33072405	154337888	220482698
74	उन्नाव	38794279	38794279	181039967	258628525
75	वाराणसी	28397244	28397244	132520474	189314962
	योग-	**2239800000**	**2239800000**	**10452400000**	**14932000000**

रू. 14,93,20,00,000 (रुपये चौदह अरब तिरानवे करोड़ बीस लाख मात्र)

(मनोज कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।